सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 44/13 **निर्णय दिनांक : 5.1.2018**

1. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी सारूण्डा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. किशनाराम पुत्र गुलाराम जाति ब्राहमण निवासी सारूण्डा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. गायत्री पुत्री किशनाराम पत्नी भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. ओमप्रकाश पुत्र किशनाराम पत्नी भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. मुन्नीलाल दत्तक पुत्र सरजूदेवी बेवा राजूराम जाति ब्राहमण निवासी नोखा जिला बीकानेर।
4. आशादेवी पुत्री किशनाराम पत्नी बस्तीराम जाति ब्राहमण निवासी गुड़ा भगवानदास जिला नागौर।
5. नेमाराम पुत्र गणेशाराम जाति सुथार निवासी सारूण्डा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोखा

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी नोखा
दिनांक 20.12.2012

उपस्थितः

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 20.12.2012 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत भूमि ग्राम सारूण्डा तहसील नोखा में राजस्व रिकार्ड में केशुराम, किशनाराम पिसरान गुलाराम 1/2 व रामचन्द्र पुत्र गुलाराम का 1/2 हिस्से में 286 बीघा भूमि थी। जिसमें से रामचन्द्र व अन्य सह खातेदारों ने समय–समय पर अपने हिस्से की भूमि को बैय कर दिया गया। केशुराम के वारिसान व किशनाराम के मध्य विभाजन से पूर्व रामचन्द्र की बेवा ने अपने हिस्से की शेष 53 बीघा भूमि केशुराम के वारिसान व किसनाराम को रिलिज कर दी। जिससे विभाजन के समय केशुराम के वारिसान में 86 बीघा 6 बिस्वा व किसनाराम के नाम 86 बीघा 6 बिस्वा भूमि अंकित हुई तथा तदुपरान्त केशुराम के वारिसान व किशनाराम के मध्य विभाजन हो गया। उक्त भूमि विभाजन के बाद पैतृक सम्पति नहीं होकर अपीलांट संख्या 2 की स्वअर्जित सम्पति हो गइ थी। लेकिन अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि को पैतृक सम्पति मानकर अपीलांट संख्या 2 के जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हिस्सा मानते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में गलती की है। चूंकि विभाजन के बाद वादगत् भूमि अपीलांट संख्या 2 की स्व–अर्जित भूमि हो गई थी ऐसी स्थिति में स्व–अर्जित सम्पति को हस्तान्तरित करने का पूरा अधिकार होता है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को नजर अंदाज करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कानूनी भूल की है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया मामला साबित था ना ही सुविधा का संतुलन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में साबित था ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई अपूरणीय क्षति कारित हो रही थी। अदालत मातहत ने अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक तत्वों को दरकिनार करते हुए

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में गलती की है। अपीलांट संख्या 1 ने अपीलांट संख्या 2 को अपनी स्व–अर्जित भूमि को बैय किया है। अपीलांट संख्या 1 वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। कानून का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादगत् भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कभी कब्जा काश्त रहा हो। जबकि अपीलांट संख्या 1 वादगत् भूमि का काबिज रिकार्डेड खातेदार है। अदालत मातहत के समक्ष पक्षकारों के मध्य दावा जैरकार है। जिसमें सभी पक्षकारो के हक व हकूकों का निर्धारण होना है। जब तक दावें में सभी पक्षकारों के हक व हकूकों का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक किसी भी पक्षकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2004 पार्ट I पेज 587, आरआरटी 2003 पार्ट II पेज 1282, आरआरटी 2006 पार्ट I पेज 623, आरबीजे 2016 पेज 244, आरएलडब्ल्यू 2013 पेज 436 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही सारूण्डा तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 1252 रकबा 6.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 2428 रकबा 14.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 4144/1252 रकबा 0.86 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 21.60 हेक्टर भूमि अपीलांट संख्या 2 की खातेदारी भूमि थी। अपीलांट संख्या 2 द्वारा अपने पुत्र ओमप्रकाश के बहकावे में आकर अपीलांट संख्या 1 के नाम 7.11 हेक्टर भूमि बाला–बाला बैयनामा कराने से जमाबन्दी में 7.11 हेक्टर भूमि खातेदारी दर्ज हो गई। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता की पैतृक भूमि है। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादगत् भूमि पैतृक भूमि होने के कारण जन्म से 1/5 भाग के हिस्से में कानूनन अधिकार निहित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है। कुल

वादगत् भूमि 21.60 हेक्टर भूमि में से 1/5 भाग अर्थात 4.32 हेक्टर भूमि की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खातेदार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता एक वृद्व व्यक्ति है। जिनको उनके पुत्र ओमप्रकाश ने बहकाकर व डरा धमकाकर पहले नेमाराम को 7.11 हेक्टर भूमि का बेचान करवा दिया गया तथा शेष भूमि का बैयनामा अपनी पत्नी के नाम से करवा लिया गया व इंतकाल दर्ज करवा लिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि वादगत् भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती तो अप्रार्थी वादगत् भूमि को रहन व बैय करने में कामयाब हो गये या वादगत् भूमि पर जबरन काबिज हो गये तो उसे ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः वादगत् भूमि के संबंध में अप्रार्थी/अपीलांट को पाबन्द किया जावे कि वे वादगत् भूमि वाके रोही सारूण्डा तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 1252 रकबा 6.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 2428 रकबा 14.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 4144/1252 रकबा 0.86 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 21.60 हेक्टर भूमि से प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जबरिया बेदखल ना करें ना ही वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करें। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का जन्मजात अधिकार के रूप में साबित पाये जाने पर व अपीलांट संख्या 2 से अपीलांट संख्या 1 के पक्ष में जो कि उसकी पुत्रवधु है के नाम जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा सम्पूर्ण भूमि का बैय किया जाना संदेहास्पद मानते हुए वादगत भूमि के संबंध में ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है।

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांट संख्या 2 की पुत्री है, जिसका वादगत् भूमि पैतृक भूमि होने के कारण जन्म से ही अधिकारिणी है। अपीलांट संख्या 2 ने बिना विभाजन कराये पुत्रवधु के पक्ष में बैयनामा छिपाकर किया गया है। जिसे कानून की दृष्टि में शून्य बैयनामा है। अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों पक्ष प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थिनी के पक्ष में मानते हुए ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने

कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 पार्ट II पेज 1445, आरआरटी 2015 पार्ट I पेज 985, आरआरटी 2014 पेज 519 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि विवादित भूमि वाके रोही सारूण्डा तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 1252 रकबा 6.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 2428 रकबा 14.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 4144/1252 रकबा 0.86 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 21.60 हेक्टर भूमि अपीलांट संख्या 2 किशनाराम पुत्र गुलाराम की खातेदारी भूमि थी।

(2) उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता व अपीलांट संख्या 2 द्वारा अपने पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा गुलाराम से कुल 286 बीघा 13 बिस्वा में से लगभग 143 बीघा भूमि किशनाराम व केसुराम हो प्राप्त हुई है। जिसमें से लगभग 18 हेक्टर भूमि पैतृक सम्पति के रूप में किसनाराम को प्राप्त हुई। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का बाई बर्थ हिस्सा निर्विवाद रूप से निहित है। अपीलांट संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि में से पूर्व में 7.11 हेक्टर भूमि पूर्व में ही नेमाराम पुत्र गणेशाराम को विक्रय कर दी गई। शेष भूमि हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थिया द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की पारित की गई है कि वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तिकल ना किया जावे। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का जन्मजात अधिकार के रूप में साबित पाये जाने पर व अपीलांट संख्या 2 से अपीलांट संख्या 1 के पक्ष में जो कि उसकी पुत्रवधु है के नाम जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा सम्पूर्ण भूमि का बैय किया जाना संदेहास्पद मानते हुए वादगत भूमि के संबंध में ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है।

(3) हमने अदालत मातहत की पत्रावली व आदेश जैर अपील का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावजों के आधार पर यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि स्वअर्जित सम्पति ना होकर एक पैतृक सम्पति है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांट संख्या 2 की पुत्री है। अतः उसका वादगत् भूमि पर बाई बर्थ अधिकार निहित होना साबित है। अपीलांट संख्या 2 द्वारा शेष वादगत् भूमि को अपने पुत्र की पत्नी अर्थात पुत्रवधु के नाम से बैयनामा दिनांक 19—01—2010 किया गया है। जिसका उसे पैतृक सम्पति होने के कारण अधिकार हासिल नहीं होते है। पैतृक सम्पति होने के कारण किशनाराम के सभी जायज वारिसान का कानूनन वादगत् भूमि पर बराबर का हक व हिस्सा निहित है। अपीलांट संख्या 1 द्वारा मात्र एक पक्ष में वादगत् भूमि का बैयनामा किया जाना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। उक्त रजिस्टर्ड बैयनामा संदेहास्पद होने के साथ—साथ कानून की दृष्टि में शून्य व एबईनिशियोवाईड बैयनामा है। जब तक वादगत् भूमि का विभाजन समस्त जायज वारिसान के मध्य नहीं हो जाता तब तक उक्त बैयनामें के आधार पर किसी भी पक्ष को कोई अधिकार हासिल नहीं होने है।

(4) चूंकि वादगत् भूमि के संबंध में अदालत मातहत के समक्ष दावा लम्बित है। दौराने दावा वादगत् भूमि आगे रहन, बैय व मुन्तकिल किया जाता है तो दावे में पेचिदगियॉ व मुकदमें की आवृति बढ़ेंगी। अभिभाषक अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि अपीलांट संख्या 2 की रिकार्डेड खातेदारी भूमि है स्वीकार है। लेकिन उक्त भूमि उसकी स्वअर्जित सम्पति ना होकर एक पैतृक सम्पति है। जिसमें अपीलांट संख्या 2 के सभी जायज वारिसान का बराबर का हक व हिस्सा बनता है व विभाजन का दावा अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पैतृक सम्पति में से अपने हिस्से की मांग की गई है ना कि स्वअर्जित सम्पति में से हिस्से की मांग की गई है।

(5) चूंकि अपीलांट संख्या 2 किशनाराम द्वारा अपने पुत्र ओमप्रकाश की पत्नी दुर्गादेवी अर्थात अपनी पुत्रवधु के नाम से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा सम्पूर्ण भूमि को बैय किया गया है जो किसी भी परिस्थिति में युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायपूर्ण बैयनामें की श्रेणी में नहीं आता है। वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है जिसके हस्तान्तरण आदि से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। अतः ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वादगत् भूमि के संबंध में ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है। जो एक न्यायपूर्ण उचित आदेश है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20—12—2012 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर